



**OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS,
MANDI FOREST DIVISION, MANDI , HP 175001
Phone & Fax 01905-235360, e-mail-dfomandi@gmail.com**

No./RK./-----

Dated-----

From :- D.C.F. Mandi

To:- CCF (T) Mandi

Subject :- Diversion of 19.5896 ha Forest Land for Rehabilitation and Up-Gradation to Two Lane with Paved shoulder configuration & Strengthening of Padhar to Bijni (Package –VA) from Km 180.00 to Km 202.815 (Design Length 19.050 Km) of NH-20 (New NH-154) of Pathankot-Mandi Section in the State of Himachal Pradesh- Request for fixing Joint Inspection Date.

Sir,

Kindly refer to your EDS raised by the Nodal Officer Shimla on dated 14th November, 2024 through online on the subject cited above.

2 In this regard, it is intimated that all the CA land proposed in the aforesaid proposal falls under the category of RF/PF and comes in IFA 1927. The revenue papers/Notification of all the CA sites are enclosed herewith for favour of information and further necessary action please. In view of the reply given above, may please considered and accordingly report be transmitted to higher office to obtained necessary approval under FCA, 1980 and conveyed to this office please.

Encl:AA


**Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division ,Mandi (H.P)**


Endst. No.

6047

Dated Mandi, the/ 28.11.2024

Copy along with enclosures is forwarded to:

1. Nodal Officer-cum-Addl. Pr.CCF (FCA) O/o Pr.CCF H.P Shimla-1for information and further necessary action.
2. Project Director, NHAI, PIU- Mandi, Bagla Muhal Chakkar PO Nagchala Tehsil Balh, Distt. Mandi (HP) w.r.t. office letter No. NHAI/PD/PIU-Mandi/2024-25/1991 dated 27.11.2024


**Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division, Mandi (H.P)**



**OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS,
MANDI FOREST DIVISION, MANDI , HP 175001
Phone & Fax 01905-235360, e-mail-dfomandi@gmail.com**

No./RK./----- 6084-----

Dated----- 29-11-2024

From :- **D.C.F. Mandi**

To:- **CCF (T) Mandi**

Subject:- **Diversion of 1.2222 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of link road from Dandhal to Jaral raod Kms 0/00 to 2/00), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/37860/2018).**

Memo:

Kindly refer to EDS raised by the Nodal Officer Shimla through online portal (Copy enclosed) on the subject cited above.

The observation as pointed out vide letter under reference has been attended and reply of the same is given in annotated manner as under:-

Sr.No.	Observation	Reply
1	Forwarding letter of DFO concerned has not been found uploaded.	Forwarding letter of undersigned has been uploaded now.
2	Undertakings as uploaded by user agency are not countersigned by DFO.	All the undertaking countersigned by DFO are uploaded.
3	Undertaking w.r.t. Point No.3 (a), (b), 5 are not furnished by DFO concerned.	Undertaking w.r.t. Point No.3 (a) (b). & 5 are have been uploaded and the same are enclosed herewith.

In view of the reply given above, may please considered and accordingly report be transmitted to higher office to obtained necessary approval under FCA, 1980 and conveyed to this office please.

Encl:AA


Endst. No./RK/ 6085

Copy is forwarded to Executive Engineer, Mandi Division No. II HPPWD, Mandi for information and necessary action.


Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division, Mandi, H.P.

Dated Mandi, the 29-11-2024


Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division, Mandi


27/11/24
27/11/24

**OFFICE OF DIVISIONAL FOREST OFFICER,
MANDI FOREST DIVISION, MANDI, HP 175001
Phone & Fax 01905-235360, e-mail-dfomandi@gmail.com**

Dated----- 18/06/24

1628
:- DCF Mandi

To:- CCF (T) Mandi

Diversion of 1.2222 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of link road from Dandhal to Jaral road Kms 0/00 to 2/00), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/37860/2018).

नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0) हिमाचल प्रदेश

संख्या/8बी/एच0पी0/06/47/2021/एफ सी./408 दिनांक/27.11.2021 के संदर्भ में लगाई

अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण व इस कार्यालय के द्वारा पूर्ण कर ली गई है तथा रिपोर्ट आपके कार्यालय को निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है:-

शर्तें	उत्तर
वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। जिसकी ववन बद्धता साथ संलग्न है।
परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस परियोजना में कोई गैर वन भूमि में उपयोग नहीं लाई जा रही है। जिसकी ववन बद्धता साथ संलग्न है।
प्रतिपूरक वनीकरण: वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुण परिभाषित वन भूमि पर अर्थात् 2.4444 हे० में Sinh Nal DPF, Sadar (Mandi Forest Division, Distt. Mandi HP) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहार्य हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का उपयोग एवं राज्य प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से वकालत किया जायेगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 2.4444 हे० में Sinh Nal DPF, Sadar (Mandi Forest Division, Distt. Mandi HP) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। इस आशय का ववनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ख) राज्य सरकार, निर्देशित एफ.सी.ए.1980 की गाईडलाइंस के पैरा 121 (ii) के अनुसार एफ.सी.ए.1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% annul simple interst date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया जायेगा ।

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के द्वारा दिये गये बिलों के अनुसार प्रतिपूरक पौधारोपण से सम्बन्धित प्रस्तावना रूपये 25,37,429/-पैनल एन0 पी0 को कैम्पा में जमा कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर वसूल की गई राशि का लेख जोख अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमाणित किया गया है कि प्रति साथ संलग्न है।

4 प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदुरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याषित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के द्वारा दिये गये बिलों के अनुसार प्रतिपूरक पौधारोपण से सम्बन्धित प्रस्तावना में कुल अनुमोदित राशी रूपये 40,60,987/-है, जिसमें से प्रतिपूरक पौधारोपण राशी रूपये 7,20,573/-तथा रूपये 8,02,985/-एन0 पी0 तथा रूपये 25,37,429/-पैनल एन0 पी0 को कैम्पा में जमा कर दिया गया है।

5 The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatmetn area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards liner projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be

उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी।

6 शुद्ध वर्तमान मूल्य
(क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किये गए अधिसूचना क्र. WP (c) संख्या 202 / 1995 में IA नम्बर 556 दिनांक

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के द्वारा दिये गये बिलों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.

30 10 2002 01 08 2003, 24 04 2008 एव 09 05 2008 2222 हे0 वन क्षे0 के प्रत्यावर्तन के लिये
 मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ सी (PI) शुद्ध वर्तमान मूल्य रूपये
 2) दिनांक 18 09 2003 5-2/2006 एफ सी दिनांक 25 37 429 / एन0 पी0 वी0 की राशि
 03 10 2006 एव 5-3/2007- -एफ सी दिनांक 05 02 जमा करवा दी गई है।
 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता
 अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 12222 हे0 वन क्षे0
 के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय
 सर्वोच्च न्यायलय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध
 वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो
 अंतिम रूपर देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा
 प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता
 अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

इस प्रस्तावना में प्रत्यावर्तित वन भूमि
 के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त
 राशि से सम्बन्धित अंडरटेकिंग साथ
 संलग्न है।

7 एफ0आर0ए0,2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला
 कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित
 किया जाएगा।

एफ0आर0ए0,2006 का जिला कलेक्टर
 से निर्धारित प्रमाण पत्र पूर्व में ही दिया
 जा चुका है। जो समस्त परियोजना के
 क्रमांक संख्या के0 पर अपलोड किया
 गया है।

8 माननीय उच्च न्यायलय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840
 in wp (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ0 सी0
 ए0 के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई है। अत
 राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली
 द्वारा इस निर्णय लिए जाने के उपरान्त ही तदनुरार
 स्तर पर भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने
 वाले स्वीकृत आदेश जारी करेगी।

उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी।

9 प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार
 सड़क के दोनों किनारों एव उसके बीचोबीच पौधों की
 संख्या बढ़ाएगा।

उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी।
 जिरागी बनान बढ़ता साथ संलग्न है।

10 संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निषिद्ध दूरा पर सड़क के
 साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।

उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी।
 जिरागी बनान बढ़ता साथ संलग्न है।

11	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 03 वृक्षों और 9 सेपलिंग से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी जिसकी वचन बद्धता साथ संलग्न है।
12	आस-पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी जिसकी वचन बद्धता साथ संलग्न है।
13	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	इस परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा किए गये हैं।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी।
15	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आऊट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावना का ले आऊट प्लान नहीं बदला जाएगा।
16	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार यह प्रस्तावना 5 है0 से कम है। अतः इसमें स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है।
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी जिसकी वचन बद्धता साथ संलग्न है।
18	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर फारवर्ड/बैकवर्ड वेयरिंग अंकित हों।	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी। जिसकी वचन बद्धता साथ संलग्न है।

<p>वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।</p>	<p>उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी। जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है।</p>
<p>20 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।</p>	<p>उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है।</p>
<p>21 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन (वन संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशनिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।</p>	<p>उक्त शर्त स्वीकार्य है।</p>
<p>22 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।</p>	<p>उक्त शर्त स्वीकार्य है।</p>
<p>23 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तथ्य सीमा से नीचे न गिर। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सूधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख रख में पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षा की कटाई की अनुमति नहीं होगी।</p>	<p>उक्त शर्त का Reclamation plan for muck dumping के आधार पर कार्य किया जायेगा।</p>
<p>24 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुसूची / नियम / न्यायलय आदेश / अनुसूची / अधिनियम / पर लागू होते हैं तो उनके अधीन कार्य प्रयोजन राज्य सरकार / प्रयोक्ता अभिकरण ही निम्नकारी होगा।</p>	<p>उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी।</p>

25	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की जाएगी ।	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
----	--	--

अतः यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया प्रस्तावना में भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अंतिम स्वीकृति प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करके इस कार्यालय को अवगत करवाने की कृपा करें।

Encl:AA

Endst. No./RK/ 1629

**Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi HP
Phone No. 01905 235360**

Dated, Mandi the/ 18/05/24

Copy is forwarded to Executive Engineer, Mandi Division No. HPPWD Mandi, Distt. Mandi HP w.r.t. his office letter No. PW. MDII-GA-Forest Case No. 2024-1347-49 dated 13.05.2024.

**Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi HP**

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 06-08-2022

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6137860397
State Code.	HP
Address.	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla Shimla
Amount(in Rs)	4060987/-

Amount in Words Forty Lakh Sixty Thousand Nine Hundred and Eighty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAHP6137860397
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 06-08-2022

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6137860397
State Code.	HP
Address:	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla Shimla
Amount(in Rs)	4060987/-

Amount in Words Forty Lakh Sixty Thousand Nine Hundred and Eighty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAHP6137860397
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: ubicampa@unionbankofindia.com

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

1027

Dated:- 9/5/2024

NO.PW /MSD-III /Cash/2024-
To

The Manager,
State Bank of India,
Distt Mandi H.P.

Subject -

Regarding UTR Number.

On the above cited subject, it is informed that payment was made by office on 10.08.2022 for Rs 40,60,987/-only, the Unique Transaction Reference (UTR) number of which to be given by you, hence you are requested to please provide the Unique Transaction Reference (UTR) number to this office please.

Executive Engineer,
Mandi Division NO.II
HP PWD Mandi.

UTR NO - SBIN12222453594 ₹ 40
10/08/2022

State Bank of India
Mandi (H.P.)
04 MAY 2024
Prakash Chand
Maker 6715109
Chequer


CERTIFICATE No 3 REGARDING PROFORMA OF DEPOSIT OF FUNDS IN ADHOC-CAMPA

S.NO.	PARTICULARS	DETAILS
1	State/District/Forest Division to which the proposal related.	HP/Mandi/Mandi Forest Division
2	Name of User Agency, Nature of proposal	Executive Engineer, Mandi Division II, HPPWD, Mandi
3	Extent of Forest Area involved	1.2222 ha
4	Whether original or extension.	Original
5	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so specify	-
6	Date of 1st stage clearance	8B/HP/06/47/2021/FC/408 dated 27-11-2021
7	Extent of CAMPA charges head wise Viz.	
	(a) Compensatory Afforestation	7,20,573/-
	(b) Additional CA	-
	(c) Penal CA	25,37,429/-
	(d) Catchment Area Treatment	0
	(e) Wild life Management Plan	0
	(f) Additional charges for diversion of Area felling under notified /protected area	0
	(g) Net present value	Rs 8,02,985/-/-
	(h) Any other charges levies (Pi. specify)	-
	Detail of bank Draft (Bank draft No. date and amount) head wise against item indicated in paragraph above.	-
9	Whether deposited by RTGS, of so the particular and date of remittance.	The amount against CAMPA Rs 4060987/- stand deposited by the User Agency vide UTR No. SBIN12222453594 on dated 10.08.2022

The another amount deposited (the UA 8782 forest remittance Revenue) in Forest the det given as under:-

Particular	Amount
Departmental charges	1,26,100/-
GST 18% cost of fence post	9474/-
Cost of trees	NIL

Relevant Challan Copies are enclosed herewith for ready reference.


Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi H.P

10 Any other remarks

Diversion of 1.2222 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of link road from Dandhal to Jaral road Kms 0/00 to 2/00), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/37860/2018).

Undertaking

Stipulation N0.3)(क)

वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 2.4444 हे० में Sinh Nal DPF, Sadar (Mandi Forest Division, Distt. Mandi H.P.) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा तथा जंहा तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से भी बचा जायेगा।



उप अरण्यपाल,
मण्डी वन मण्डल जिला मण्डी हि०प्र०

Subject:-

Diversion of 1.2222 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of link road from Dandhal to Jaral road Kms 0/00 to 2/00), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/Road/37860/2018).

Certificate

Stipulation No. :- 3 ख

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Penal NPV की निर्धारित राशि कुल 2537429/- 12% के साधारण ब्याज के सहित CAMPA कोष में ऑनलाइन जमा करा दी गई है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।


Deputy Conservator of Forests,
Mandi Forest Division, Mandi HP

Diversion of 1.2222 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Dandhal to Jaral road Km 0/00 to 2/00) within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Dsitt. Mandi H.P (Online Proposal No. FP/HP/Road/37860/2018)

Undertaking

Stipulation No. :- 5

क्रम संख्या	शर्त	उत्तर
1	The state Govt. shall ensure that the KML file of the area to be diverted the CA area, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment are and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage II approval as the case may be.	After receiving the final approval the proposed activities will be executed and KML file of the areas will be uploaded on e-green watch portal.



उप अरण्यपाल,
मण्डी वन मण्डल जिला मण्डी हि०प्र०


Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO JARAL KM 0/0 TO 2/00.

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF ADDITIONAL COST OF COMPENSATORY AFFORESTATION

I / We Executive Engineer, Mandi Division No.II, HPPWD Mandi hereby undertake to pay the entire amount for compensatory afforestation in lieu of the forest area diverted for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO JARAL KM 0/0 TO 2/00. as per the prevailing wage rates at the time of undertaking the plantation activities.

95

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi
Office Seal

Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO JARAL KM 0/0 TO 2/00.


शर्त संख्या 6 (ख)

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF ADDITIONAL NET PRESENT VALUE OF FOREST AREA

It is to certify that I / We Executive Engineer, Mandi Division No.II, HPPWD Mandi have applied for diversion of 1.6231 Hectare of forest area for the purpose of Construction of TANDI SIRM BATAHAN ROAD KM0/0 to 4/00. I / We hereby undertake, to pay the net present value (NPV) of the above forest land. I also undertake to pay the differential NPV if decided by Hon'ble Supreme Court of India at later stage.

95

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi
Office Seal

Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land for the Construction of
LINK ROAD FROM DANDHAL TO JARAL KM 0/0 TO 2/00.


शर्त संख्या 9

UNDERTAKING FOR STRIP PLANTATION ON BOTH SIDES OF THE ROAD

It is to certify that I, Executive Engineer, Mandi Division No. II, HPPWD Mandi have applied for Diversion of 0.9888 Hectare of forest land in favour of HPPWD for Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO JARAL KM 0/0 TO 2/00. I, do hereby undertake, that on possible spots of both sides of the road, strip plantation will be done by the Department on own expenditure under the supervision of Forest Department.

95


Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Signature of User Agency
Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi
Office Seal

Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.

शपथ पत्र

शर्त संख्या 1

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	वन भूमि कि विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है ।

95

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi


**Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.**

शपथ पत्र

शर्त संख्या 2

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	इस परियोजना में कोई गैर वन भूमि में उपयोग नहीं लाई जा रही है।

45
Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.

शपथ पत्र

शर्त संख्या 7

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम के सुनिश्चित किया जाएगा।	उक्त शर्त स्वीकार्य है ॥

45

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

**Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.**

शपथ पत्र

शर्त संख्या 9

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	प्रयोक्ता अभिकरण आई आर सी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उस के बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है।

YS

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

**Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.**

शपथ पत्र

शर्त संख्या 10

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जायेंगे।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।

9/5

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL T JARAL KM 0/0 TO 2/00.

शपथ पत्र

शर्त संख्या 11

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावतित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 3 trees and 9 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यावेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वनविभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है।

95

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO JARAL KM 0/0 TO 2/00.

शपथ पत्र

शर्त संख्या 12

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई भी नुकसान नही पहुँचाया जाएगा।	उक्त शर्त की अनुपालना की जाएगी ।

95

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

**Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.**

शपथ पत्र

शर्त संख्या 13

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) के माध्यम से क्षति पूरक व नीकरण को षप्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	उक्त शर्त की अनुपालना की जाएगी।


Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

**Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.**

शपथ पत्र

शर्त संख्या 14

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	उक्त शर्त की अनुपालना की जाएगी।

98

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

**Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.**

शपथ पत्र

शर्त संख्या 15

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है।

95
Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

**Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.**

शपथ पत्र

शर्त संख्या 17

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है।

93

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

**Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.**

शपथ पत्र

शर्त संख्या 19

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है ।

95

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO JARAL KM 0/0 TO 2/00.


शपथ पत्र

शर्त संख्या 18

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	सबधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.पिलश्र द्वारा स्मिक्न किया जाएगा जिस पर Forward /Backward bearings अंकित हो	उक्त शर्त की अनुपालना की जाएगी ।

५९


Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

**Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.**

शपथ पत्र

शर्त संख्या 20

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	केंद्र सरकार कि पूर्वानुमिति के बिना प्रत्ययावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही कि जाए	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है ।

५९

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)



Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

**Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.**

शपथ पत्र

शर्त संख्या 21

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संगरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29-01-2016 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी ।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है ।

45


Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO JARAL KM 0/0 TO 2/00.

शपथ पत्र

शर्त संख्या 22

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संगरक्षण व विकास के हित में समय - समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	उक्त शर्त स्वीकार्य है ।


Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.

शपथ पत्र

शर्त संख्या 23

क्र. सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
	<p>प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदरिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गीर । राज्य के वन विभाग के पार्यवेक्षण में तथा परियोजना कि लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पोधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायगा । मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायांगी । निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोपने से पूर्व , इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबध तरीके से पूरा किया जायगा । मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों कि कटाई कि अनुमिति नहीं होगी ।</p>	<p>हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है ।</p>

45

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

**Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL TO
JARAL KM 0/0 TO 2/00.**

शपथ पत्र

शर्त संख्या 24

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / नयायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेवारी होगी।	इस शर्त के सम्बन्ध में उच्च कार्यालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उनकी अनुपालना कड़ाई से की जाएगी।

95

Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi


Proposal Name: Diversion of 1.2222 Hectare of forest land
for the Construction of LINK ROAD FROM DANDHAL
JARAL KM 0/0 TO 2/00.

शपथ पत्र

शर्त संख्या 25

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।

gs
Deputy Conservator of Forests
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)


Executive Engineer
Mandi Division No. II
H.P.P.W.D. Mandi

Dhandhal to Jural road.

The user agency has furnished compliance report of Stage-I approval. After ex-
proposal, following observations as been noticed

Forwarding letter of DFO concerned has not been found uploaded.

Undertakings as uploaded by user agency are not countersigned by DFO

Undertakings w.r.t Points No. 3 (a), (b), 5 are not furnished by DFO concerned.

May reject the compliance report in view of the above reasons please.